मुंबई के लिए मेट्रो बेहद जरूरी

मुंबई,का. सं. मुंबई हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को लेकर अंधेरी सीप्झ मेट्रो 3 लाइन का विरोध करने वालों को कहा है कि वे अपनी सोच में बदलाव लाते हुए पूरे प्रोजेक्ट को जमीनी हकीकत के साथ देखें.

नजरिया बदलें विरोधी

न्यायमूर्ति विद्यासागर कनाडे व एम. एम. बदर की खंडपीठ ने कहा कि शहर में ट्राफिक की स्थिति ख़राब से बदतर हो गई है.ऐसे में शहर के लोगों के लिए मेट्रो काफी जरुरी हो गयी है.मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल)ने हाई कोर्ट से बांद्रा - कुर्ला काम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए 108 मैंग्रोव को काटने की अनुमति मांगी है.इससे पहले बॉम्बे इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप ने मैंग्रोव की कटाई के लिए हाई कोर्ट की अनुमति ली थी.इसी तर्ज पर मुंबई मेट्रो ने भी कोर्ट की परमिशन मांगी है .एमएमआरसीएल के अधिवक्ता किरण बगालिया ने हाई कोर्ट को विश्वास दिलाया कि मेट्रो स्टेशन को बनाने में मैंग्रोव की कटाई के बाद उस जगह ग्रीन कवर को फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा.